स्पीड पीर्ट

# मि.सं. 3(04)/2018-स्था./2126-2210

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, एवं किसान कल्याण विभाग विस्तार निदेशालय

> कृषि विस्तार भवन, आई.ए.एस.आर.आई. कैंपस, पूसा, नई दिल्ली-110012

दिनांक : 30 जून, 2023

## कार्यालय जापन

विषय: विस्तार निदेशालय में वेतन मैट्रिक्स 35400-112400 रुपये के स्तर-6 में फोटोग्राफर का दो पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर (अल्पकालिक संविदा सहित) भरे जाने हेतु।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली में वेतन मैट्रिक्स 35400-112400 रुपये के स्तर-6 में फोटोग्राफर (अराजपत्रित) (अननुसचिवीय) के दो पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर (अल्पकालिक संविदा सहित) भरा जाना है।

## प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

'केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या भारत सरकार के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत या कानूनी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी;

क. (i) मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण करते हों,

या

- (ii) स्तर -5 (29,200-92,300 रु.) या मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य में उस पद पर छः वर्ष की नियमित सेवा की हैं; और
- ख. निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो:-

#### आवश्यक:

- । (क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकेन्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
  - (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविदयालय या संस्थान से फोटोग्राफी में डिप्लोमा ।
  - (ग) फोटोग्राफी के विभिन्न क्षेत्रों में दो वर्ष का वृतिक अन्भव ।

या

- 2. (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकेन्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो;
  - (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फोटोग्राफी में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम;
  - (ग) फोटोग्राफी के विभिन्न क्षेत्रों में तीन वर्ष का वृतिक अनुभव ।

टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।।

(प्रतिनियुक्ति की अविध, (अल्पकालिक संविदा सिहत) प्रतिनियुक्ति की अविध सिहत (अल्पकालिक संविदा सिहत) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

मि.स. F.No.3(04)/2018-Estt. 2126-2210 37 SPEED POST कृषि एवं किसान क्रमाण मं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय Ministry of Agriculture & Farmers Welfare कृषि एवं किसान कल्याण विभाग Department of Agriculture & Farmers Welfare विस्तार निदेशालय

Directorate of Extension

कृषि विस्तार भवन Krishi Vistar Bhawan आई.ए.एस.आर.आई. कैपस IASRI Campus पुसा नई दिल्ली 110012 Pusa, New Delhi 110012

दिनाँक ३० जून, २०२३

## OFFICE MEMORANDUM

Sub.: Filling up of Two (02) vacancies of Photographers in the Pay Matrix Level-6 Rs. 35400-112400 in the Directorate of Extension by deputation basis (including shortterm contract) regarding.

The undersigned is directed to say that Two (02) vacancies of Photographers in the Pay Matrix Level-6 Rs. 35400-112400 (Non-Gazetted) (Non-Ministerial) in the Directorate of Extension, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture & Farmers Welfare, New Delhi, is required to be filled up by deputation (Including Short- term contract).

#### **Deputation (Including Short-Term Contract):**

Officers under the Central Government or State Government or Union Territory Administrations or Public Sector Undertaking or Statutory Organisations or Autonomous Bodies or Universities or recognised Research Institutes or Semi-Government organisations:

- A. (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;
  - (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-5(Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;
- B. Possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

#### Essential:

- (i) (a) Senior Secondary School Examination pass from a recognised Board;
  - (b) Diploma in Photography awarded by a recognised university or institute; and
  - (c) two years professional experience in various fields of photography.

(ii) (a) Senior Secondary School Examination pass from a recognised Board;

- (b) Certificate Course in Photography from recognised university or institute; and
- (c) three years professional experience in various fields of photography.

Note: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion

(Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including shortterm contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department in the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including Short Term Contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date for the receipt of applications).

# जीवन वृत्त / प्रोफार्मा

पद का	' नाम	जिसके	लिए	आवेदन	किया	गया	<u> </u>
-------	-------	-------	-----	-------	------	-----	----------

	T.2				T .					
क्रम सं.	विवरण									
1	नाम और पता (साफ	अक्षरों में)								
2	जन्म तिथि (ईसवी स	न् में)								
3	केन्द्रीय सरकार के नि	यमों के अधी								
4	शैक्षणिक योग्यता									
5	क्या आप पद के लिए	अपेक्षित शैक्ष								
	अहर्ताएं पूरी करते हैं (	यदि किसी य								
	अंतर्गत समतुल्य योग्र	यता के रूप मे								
	स्पष्ट करें)									
	आपेक्षित योग्यताएं /	अनुभव	अधिकारी द्वारा धारित योग्यता /							
			अनुभव							
	अनिवार्य									
	(1)									
	(2)									
	(3)									
	वांछनीय									
	(1)									
	(2)									
6	ऊपर दी गई प्रविष्टियो	ं के आधार प								
	कि क्या आप पद की	अपेक्षायें पूरी								
7	कालक्रमानुसार नियोजन का विवरण यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से पृष्ठ									
	संलग्न करें और उस प	णित करें ।								
कार्यालय /	धारित पद से तक वेतनमान				एवं मूल	कार्य का स्वरूप				
संस्थान /				वेतन						
संगठन का										
नाम										
						-				
	L	1	L	L		L				

# मि.सं. 3-2/2018-स्था. \2211-2294 2-45 पीट-2

## भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग विस्तार निदेशालय

कृषि विस्तार भवन पूसा, नई दिल्ली-110012 दिनांकः 06 जुलाई, 2023

विषय: विस्तार निदेशालय में 19900-63200 रुपये के स्तर-2 में स्टॉफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड) के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली में वेतन मैट्रिक्स 19900-63200 रुपये के स्तर-2 में स्टॉफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) समूह (ग) (अराजपत्रित) (अननुसचिवीय) के एक (01) पद को प्रोन्नति/आमेलन एवं प्रतिनियुक्ति/पुनर्योजन आधार पर भरा जाना है -

प्रतिनियुक्ति / आमेलनः-

विस्तार निदेशालय में ऐसे नियमित बहुकार्य कर्मचारिवृंद जिनके पास मोटरकार चलाने का विधिमान्य चालन अनुज्ञाप्ति धारकों की मोटरकार चालन की दक्षता आंकने के लिए चालन जांच के आधार पर अथवा केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में नियमित आधार पर कार्यरत सवार हरकारा अथवा नियमित बहुकार्य कर्मचारीवृंद के कर्मियों में से जिनके पास निम्नलिखित विहित अर्हतायें हैं।

- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य
- मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालन अन्जिप्त
- मोटर कार चलाने का कम से कम 5 वर्ष का अन्भव
- (iv) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान
- यान में लघु त्रुटियों को दूर करने में समर्थ 12/1/11/11/11

# सशस्त्र बल के जवानों के लिए

प्रतिनियुक्ति/पुनर्योजनः-

सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हतायें हैं और यदि उसका चयन हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना हैः तत्पश्चात उन्हें पुनर्योजन पर बने रहने दिया जा सकत् है और पात्र अभ्यर्थियों की दशा में जो उस पद पर वास्तविक चयन से पहले सेवानिवृत हो जाते हैं या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिए जाते है तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जायेगी (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्योजन)।

टिप्पणी:-1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्निति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

А. F.No.3-2/2018-Estt. 12211-2294 BY SPEED POST

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय Ministry of Agriculture & Farmers Welfare कृषि एवं किसान कल्याण विभाग Department of Agriculture & Farmers Welfare) विस्तार निदेशालय

Directorate of Extension

कृषि विस्तार भवन Krishi Vistar Bhawan आई.ए.एस.आर.आई. कैपस IASRI Campus पूसा नई दिल्ली Pusa, New Delhi 110012 जुलाई, 2023 दिनाँक 🖒 ,

## OFFICE MEMORANDUM

SUB.: Filling up of One (01) vacancy of Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Pay Matrix Level-2 (Rs. 19900-63200) (Group-C) in the Directorate of Extension by deputation basis regarding.

The undersigned is directed to say that One (01) vacancy of Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Pay Matrix Level-2 (Rs.19900-63200) (Group-C) (Non-Gazetted) (Non-Ministerial) in the Directorate of Extension, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture & Farmers Welfare, New Delhi, is required to be filled up by deputation basis.

## Deputation/Absorption:-

From amongst the regular Multi tasking staff in the Directorate of Extension who possess valid driving license for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider or regular Multi Tasking Staff in other Ministries of the Central Government possessing the following qualification. Essential:

- (i) Pass in 10th or equivalent qualification from a recognized Board or University.
- (ii) Possession of a valid driving license for motor cars.
- (iii) Experience of driving a motor car not at least three years.
- (iv) Knowledge of motor mechanism.
- (v) Ability to remove minor defects in vehicle.

# For Armed Forces Personnel: Deputation/reemployment

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered and if selected such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms and in case such eligible officers have been retired or transferred to reserve before the actual selection to the post is made their appointment will be on re-employment basis (re-employment upto the date of superannuation with reference to civil posts)

Manuall